

HOW TO LODGE A COMPLAINT

Complaints can be lodged by addressing the written communication/letter directly to the Commission or on Central Vigilance Commission's portal <https://portal.cvc.gov.in> or through the Commission's website <https://cvc.gov.in> under the link "Lodge Complaint" on home page.

Complaints sent through written communication/letter should contain complete postal address (mobile/telephone number, if any) of the sender with specific details/information of the matter.

Further, Complaints may also be sent to **Chief Vigilance Officer, DGCI&S, Kolkata**, Vanijya Tathya Sadan, 565, Anandapur, Plot-22, Sector-I, Kolkata-700107. Scanned copy of complaint containing complete postal address (mobile/telephone number, if any) of the sender with specific details/ information of the matter can be sent to subhojit.r.dgcis@nic.in

It is to mention that any complaint will be processed further only after "Genuineness Verification" of the complainant as per the laid down procedures prescribed by Central Vigilance Commission.

शिकायत कैसे दर्ज करें

शिकायतें लिखित संचार/पत्र को सीधे आयोग को या केंद्रीय सतर्कता आयोग के पोर्टल <https://portal.cvc.gov.in> पर या आयोग की वेबसाइट <https://cvc.gov.in> लिंक के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं। होम पेज पर "शिकायत दर्ज करें"।

लिखित संचार/पत्र के माध्यम से भेजी गई शिकायतों में मामले के विशिष्ट विवरण/जानकारी के साथ प्रेषक का पूरा डाक पता (मोबाइल/टेलीफोन नंबर, यदि कोई हो) शामिल होना चाहिए।

इसके अलावा, शिकायतें मुख्य सतर्कता अधिकारी, डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता, वाणिज्य तथ्य सदन, 565, आनंदपुर, प्लॉट-22, सेक्टर-1, कोलकाता-700107 को भी भेजी जा सकती हैं। शिकायत की स्कैन की गई कॉपी जिसमें पूरा डाक पता (मोबाइल/टेलीफोन नंबर) शामिल हो। यदि कोई हो तो) प्रेषक को मामले के विशिष्ट विवरण/जानकारी के साथ subhojit.r.dgcis@nic.in पर भेजा जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि किसी भी शिकायत पर केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार शिकायतकर्ता के "वास्तविकता सत्यापन" के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।